भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2915**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रोत्साहन मिशन

2915. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के तहत इसकी उप-योजनाओं, जैसे 'निर्यात प्रोत्साहन' और 'निर्यात दिशा' सहित, शुरुआत से अब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के तहत शुरुआत से अब तक स्वीकृत और वितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है और विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त योजना के तहत आयोजित व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) सरकार ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को लक्षित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) स्कीम को मंजूरी दी है। यह मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और ऋण वृद्धि सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है; और
- निर्यात दिशा - निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स तथा भंडारण और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

मिशन का परिचालन जनवरी 2026 से शुरु हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र इस मिशन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

****